


15.5.18

पत्रावली काजराज स्व लोक अदालत के मुकौं
ग्रामपंचायत मध्याह्न में पेश हुई। गैर
साधन को जरिये कारिगारक उपस्थित हुए
एक वर्ष से कारिगार का समर्थ हो चुका है।
गैर साधन की ओर से कारिगारक जवाब
पेश नहीं किया है, फलतः जवाब का प्रवर्तन
बन्द किया जाता है। प्रकरण में स्वामित्व का
विवाद है। अपने फौजदारी स्वामित्व का
विचारण को मूल बात में साक्ष्य के
आधार पर किया जायेगा। प्रकरण के
फौजदारी आवश्यक विवाद नावटे इलाके

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	<p> इमथपक्ष को रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जागा इन्पिट समझते हैं। कता डिग्री 16.9.16 को जारी फाउलिंग कल्याणी सिपेधाजा मूल वाड के गिल्लारण तक पुपु 2 कर इमथपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे विवादित फाउजी खसरा नम्बर 309, 148, 173, 190 ग्राम बसईया जाल्द गहमील धौलपुर मूल वाड के गिल्लारण तक रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पगावली के काल नुमार होकर मूल वाड के साथ संलग्न रहे। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज.) </p>	